भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3658

सोमवार, 08 अगस्त, 2022 / 17 श्रावण, 1944 (शक)

संस्थाओं में श्रम संहिताओं का प्रचालन

3658. श्री अनुभव मोहंती:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भारत में 70 प्रतिशत संगठन 6 से कम लोगों को रोजगार देते हैं और श्रम संहिताएं उन प्रतिष्ठानों में प्रचालित होती हैं जिनमें 10 से अधिक लोग काम करते हैं तथा अधिकांश संगठन इस दायरे से बाहर हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का ऐसी किसी प्रकार की योजना या संशोधन लाने का विचार है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन 70 प्रतिशत संगठनों में काम करने वाले श्रमिकों को भी लागू होने वाली चार श्रम संहिताओं का लाभ मिल सके?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): छठी आर्थिक जनगणना के अनुसार, भारत में बड़ी संख्या में प्रतिष्ठान आकार में छोटे हैं। हालांकि, प्रतिष्ठान के आकार पर ध्यान दिए बिना, श्रम संहिताएं असंगठित कामगारों सहित कामगारों के लिए उपलब्ध सुरक्षा को सांविधिक न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और कामगारों की स्वास्थ्य देखभाल के मामलों की दृष्टि से मजबूती प्रदान करती है। मजदूरी संहिता, 2020 ने सतत विकास और समावेशी विकास का समर्थन करने के लिए सभी कामगारों को न्यूनतम मजदूरी और मजदूरी का समय पर भुगतान के वैधानिक अधिकार को सार्वभौमिक बना दिया है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (एसएस कोड) का उद्देश्य संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों और कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। सामाजिक सुरक्षा के कवरेज को बढ़ाने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता में शामिल उपबंध निम्नानुसार हैं:-

i. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के कवरेज का विस्तार अधिसूचित जिलों/क्षेत्रों की तुलना में अखिल भारत स्तर पर कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर ईएसआईसी कवरेज शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, ईएसआईसी के तहत लाभों को उस प्रतिष्ठान पर भी लागू किया जा सकता है जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित जोखिमकारी या प्राणघातक व्यवसाय का संचालन करता है, जिसमें एक भी कर्मचारी नियोजित है।

ii. असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि की परिकल्पना की गई है।

iii. गिग कामगार और प्लेटफॉर्म कामगार को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाने के उद्देश्य से परिभाषित किया गया है।

iv. केंद्र सरकार को ईएसआईसी या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों और उनके परिवारों के सदस्यों को लाभ देने का अधिकार दिया गया है।

*****